राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 4(5) ग्रावि/नरेगा/मा.द./2010 जयपुर, दिनांकः–

SEP 2010

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रशिक्षण आदि पर व्यय के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत अनुमत 6 प्रतिशत प्रशासनिक एवं प्रबन्धन व्यय में प्रशिक्षण के अन्तर्गत किये जाने वाला व्यय भी सम्मिलित है। प्रशासनिक मद में अनुमत 6 प्रतिशत व्यय के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.06.2010 द्वारा जारी किये जा चुके हैं। प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ जिलों में योजना के अन्तर्गत आर्ट ऑफ लिविंग/संस्कार निर्माण/नव चेतना/योग शिविर जैसे प्रशिक्षणों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों का नरेगा के कार्य निष्पादन से कोई सीधा संबन्ध नहीं है।

प्रशासनिक मद में अनुमत व्यय के संबंध में जारी दिशा निर्देशों में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि योजना के अन्तर्गत कौनसा व्यय अनुमत है तथा कौन–कौन सा व्यय प्रतिबन्धित है। आपको स्पष्ट रूप से निर्देश दिये जाते है कि प्रशासनिक मद में व्यय के संबंध में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। जिस मद में व्यय का इन निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है उनके बारे में व्यय करने से पहले इस कार्यालय से मार्ग दर्शन ले लिया जावे। आर्ट ऑफ लिविंग/संस्कार निर्माण/नव चेतना/योग शिविर या इसी तरह के अन्य प्रशिक्षण जिनका योजना से सीधा संबंध नहीं है, पर कोई व्यय नहीं किया जावे।

भवदीय,

3/9/10
(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय), ईजीएस